[भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 37/2023
दिनांकः 18 अक्तूबर, 2023

विषयः नेपाल, कैमरून, कोटे डी' आइवर, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स को गैर–बासमती सफेद चावल का निर्यात (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत)।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 20.07.2023 की अधिसूचना संख्या 20/2023 के पैरा 2 (iv) में निहित प्रावधान के अनुसार, नेपाल, कैमरून, कोटे डी' आइवर, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) के माध्यम से गैर–बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) की निम्नलिखित मात्रा का निर्यात अनुमत किया जाता हैः–

कम संख्या	**देश**	**मात्रा मी.टन में**
1	नेपाल	95,000.00
2	कैमरून	1,90,000.00
3	कोटे डी' आइवर	1,42,000.00
4	गिनी गणराज्य	1,42,000.00
5	मलेशिया	1,70,000.00
6	फिलीपींस	2,95,000.00
7	सेशेल्स	800.00

2. अधिसूचना का प्रभावः

नेपाल, कैमरून, कोटे डी' आइवर, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस और सेशेल्स को गैर–बासमती सफेद चावल का निर्यात (एचएस कोड 1006 30 90 के तहत) अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
18.10.202

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खण्ड 8/ई–20749 से जारी)